# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 53/2014**

मोहर सिंह यादव **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. श्री भवानी सिंह व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 15.01.2014

**आदेश की दिनांक** : 02.01.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के पद पर रिक्ति वर्ष 1989–90 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे एवं अग्रिम पदोन्नति प्रधानाचार्य के पद का रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर दिनांक 29.06.1983 को नियुक्त किया गया था और नियम 1971 के नियम 28 के तहत अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर तदर्थ आधार पर आदेश

दिनांक 18.09.1989 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने स्नात्कोत्तर योग्यता भी दिनांक 08.07.1987 को अर्जित की, जिसका अंकन सेवाभिलेख पुस्तिका में किया गया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की उच्च योग्यता की जानकारी के अभाव में अपीलार्थी को तदर्थ पदोन्नति दी। जबकि अपीलार्थी स्नात्कोत्तर योग्यताधारी था, फिर भी अपीलार्थी के नाम पर प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया और वर्ष 2013 में अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई, जो नियम विरूद्ध है और अपीलार्थी को वर्ष 1989–90 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर नियमित पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक 1200 वर्ष 1983–84 में है। जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक की वरिष्ठता वर्ष 1983–84 में 1816 है। उक्त कनिष्ठ कार्मिक को भी तदर्थ आधार पर अपीलार्थी के समान पदोन्नति दी गई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 08.05.2013 के द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध डीपीसी आयोजित की गई और जिसमें अपीलार्थी भी उक्त पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसमें वर्ष 1990–91 के व्याख्याताओं को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया, परंतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी वर्ष 1989–90 का व्याख्याता है। उक्त मामले के संबंध में अपीलार्थी ने दिसम्बर, 2013 में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया और व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के पद पर रिक्ति वर्ष 1989–90 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे एवं अग्रिम पदोन्नति प्रधानाचार्य के पद का रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को तदर्थ रूप से तीन माह अथवा आरपीएससी से चयनित अभ्यर्थी मिलने तक लगाया गया था। अपीलार्थी ने एमएससी योग्यता सेवाकाल में अर्जित की है, लेकिन उप निदेशक के समक्ष दर्ज नहीं करवाने से उसे वरिष्ठता में शामिल नहीं किया गया। अपीलार्थी के सक्षम अधिकारी उप निदेशक और उसके द्वारा प्रधानाचार्य के पास रहने वाली सेवा पुस्तिका में अपनी योग्यता दर्ज कराने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलार्थी वर्तमान तक व्याख्याता पद पर डीपीसी से चयनित नहीं है। इसलिए प्रधानाचार्य पद पर चयन किया जाना संभव नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर दिनांक 29.06.1983 को नियुक्त किया गया था और नियम 1971 के नियम 28 के तहत अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर तदर्थ आधार पर आदेश दिनांक 18.09.1989 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने स्नात्कोत्तर योग्यता भी दिनांक 08.07.1987 को अर्जित की, जिसका अंकन सेवाभिलेख पुस्तिका में किया गया है, जो अनुलग्नक–5 से प्रकट होता है तथा अनुलग्नक–4 से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को विभाग द्वारा उक्त योग्यता अर्जित करने हेतु महाविद्यालय अलवर में स्वीकृति प्रदान की गई। अनुलग्नक–4 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की योग्यता एमएससी का सेवा पुस्तिका में अंकन वर्ष 1989 में दर्ज किया गया है और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी द्वारा उक्त योग्यता में अभिवृद्धि दर्ज कराने के संबंध में विभाग को जानकारी नहीं दी गई तथा उक्त योग्यता अभिवृद्धि दर्ज होने के अभाव में अपीलार्थी के नाम पर व्याख्याता एवं प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति पर विचार किए जाने से नहीं रोका जा सकता। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की वरिष्ठता एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार रिक्ति वर्ष 1989–90 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर एवं अग्रिम पदोन्नति रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जावे तथा जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**